



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 15 राँची, शुक्रवार,

3 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

13 दिसम्बर, 2024

आदेश सं०-5/आरोप-1-32/2022 का०- 8102--उपायुक्त राँची के पत्र जापांक- 1703 दिनांक- 09.07.2022 के द्वारा श्री ज्ञानशंकर जायसवाल, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम द्वारा परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता एवं प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक, नामकुम से अवैध राशि वसूलने के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राँची द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री संजीत कुमार यादव, परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता, नामकुम द्वारा अवैध रुपये के लेन-देन संबंधी विडियो क्लिप के साथ समर्पित लिखित शिकायत में श्री ज्ञानशंकर जायसवाल, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम, राँची एवं प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी नामकुम, राँची के विरुद्ध परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता एवं प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक से अवैध रूपों की मांग करना, नहीं देने पर जेल भेजने, काली सूची में डलवाने इत्यादि की धमकी आदि एवं अन्य आरोप लगाये जाने से संबंधित आरोपों के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी नामकुम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुशंसा की गयी है ।

उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक-4713, दिनांक- 28.07.2022 के द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री जायसवाल, प्र०वि० पदाधिकारी, नामकुम, राँची के विरुद्ध नियमानुसार विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उपायुक्त, राँची के द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया एवं उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1234(ii), दिनांक- 30.08.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जाँच दल द्वारा लगाये गये आरोप एवं साक्ष्य तथा श्री जायसवाल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य का तुलनात्मक समीक्षोपरांत श्री जायसवाल पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

प्रस्तुत मामला से संबंधित आरोप/शिकायत के बिन्दु, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित होने के कारण उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 1234(ii), दिनांक- 30.08.2022 प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विभागीय पत्रांक-5935, दिनांक- 23.09.2022 के द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के क्रम में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2230 दिनांक-18.09.2024 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित है कि श्री ज्ञानशंकर जायसवाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं होते हैं ।

उपायुक्त, राँची तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा श्री जायसवाल के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री जायसवाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री ज्ञानशंकर जायसवाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 162/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम, राँची से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

अनिल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
